भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3960

जिसका उत्तर सोमवार, 18 अगस्त, 2025/27 श्रावण, 1947 (शक) को दिया गया

सहकारी बैंकों का विकास

3960. श्री अजय कुमार मंडल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में सहकारी बैंकों की राज्य-वार, विशेषकर बिहार में, कुल संख्या कितनी है;

(ख) नए मंत्रालय के गठन के बाद देश में सहकारी बैंकों के विकास के लिए सरकार द्वारा आवंटित धनराशि का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में कंप्यूटरीकृत अभिलेख न रखने वाले सहकारी बैंकों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(घ) क्या देश में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के संरक्षण के बिना सहकारी समितियों द्वारा सीधे तौर पर कोई सहकारी बैंक संचालित किया जा रहा है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ड.): सहकारी बैंक स्वाभाविक रूप से सहकारी समितियां हैं जो संबंधित राज्य के सहकारी सोसाइटी अधिनियम या बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत हैं। जब सहकारी समितियां बैंकिंग का कारोबार करती हैं, तो वे आरबीआई के विनियामकीय दायरे में आती हैं और उन्हें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर लागू) के उपबंधों के तहत लाइसेंसीकृत हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार देश में सहकारी बैंकों की संख्या निम्नानुसार हैं:

i) राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) – 34

ii) जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) – 352

iii) शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) – 1457

राज्य सहकारी बैंकों और डीसीसीबी का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

पिछले चार वर्षों के दौरान सहकारी बैंकों के विकास के लिए नाबार्ड और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) द्वारा संवितरित वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध II** और **III** में दिया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पश्चिम बंगाल में 01 शहरी सहकारी बैंक को छोड़कर सभी सहकारी बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) प्लेटफार्म पर कार्य कर रहे हैं।

अनुबंध-I

"सहकारी बैंकों के विकास" के संबंध में दिनांक 18.8.2025 के उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3960 के भाग (क) से (ङ) में यथा उल्लिखित विवरण

राज्य /संघ राज्य क्षेत्र वार सहकारी बैंकों की सूची

क्रम सं.	राज्य /संघ राज्य क्षेत्र	राज्य सहकारी बैंक	जिला केंद्रीय सहकारी बैंक*
1	अंडमान और निकोबार	1	-
2	आंध्र प्रदेश	1	13
3	अरुणाचल प्रदेश	1	-
4	असम	1	-
5	बिहार	1	23
6	चंडीगढ़	1	-
7	छत्तीसगढ़	1	6
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1	-
9	गोवा	1	-
10	गुजरात	1	18
11	हरियाणा	1	19
12	हिमाचल प्रदेश	1	2
13	जम्मू और कश्मीर	1	3
14	झारखंड	1	1
15	कर्नाटक	1	21
16	केरल	1	1
17	मध्य प्रदेश	1	38
18	महाराष्ट्र	1	31
19	मणिपुर	1	-
20	मेघालय	1	-
21	मिजोरम	1	-
22	नागालैंड	1	-
23	नई दिल्ली	1	-
24	ओडिशा	1	17
25	पुद्दुचेरी	1	-
26	पंजाब	1	20
27	राजस्थान	1	29
28	सिक्किम	1	-
29	तमिलनाडु**	1	24
30	तेलंगाना	1	9
31	त्रिपुरा	1	-
32	उत्तर प्रदेश	1	50
33	उत्तराखंड	1	10
34	पश्चिम बंगाल	1	17
कुल		**34**	**352**

* '-' राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कोई डीसीसीबी मौजूद नहीं है

**टीएआईसीओ बैंक भी डीसीसीबी की सूची में शामिल

अनुबंध-II

"सहकारी बैंकों का विकास" के संबंध में दिनांक 18.8.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3960 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

सहकारी बैंकों के लिए नाबार्ड द्वारा वितरित निधियों का विवरण

(राशि करोड़ रुपए में)

राज्य	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25
आंध्र प्रदेश	5,230.84	5,337.90	5,473.90	2,716.55
असम	8.59	11.48	12.46	10.42
बिहार	36.16	40.00	50.00	50.00
छत्तीसगढ	900.00	1,433.66	1,308.79	1,150.00
गोवा	3.64	4.00	32.31	23.97
गुजरात	2,253.27	2,262.52	2,367.62	1,691.31
हरियाणा	3500.00	4025.16	4049.45	1650.00
हिमाचल प्रदेश	817.69	1,036.70	881.56	721.00
झारखंड	-	12.28	17.09	5.90
कर्नाटक	6,192.64	6,272.05	6,279.47	3,655.52
केरल	1,361.66	1,702.00	1,734.62	1,380.00
मध्य प्रदेश	4,258.79	4,321.01	4,377.71	4,430.00
महाराष्ट्र	1,971.96	2,625.31	3,076.79	2,696.26
मणिपुर	1.00	19.51	12.54	7.81
मेघालय	22.43	17.12	19.82	7.93
मिजोरम	9.00	26.00	9.51	12.60
नागालैंड	30.77	38.00	32.93	33.00
ओडिशा	6,510.25	6,707.17	6,903.80	4,113.00
पंजाब	2,130.74	3,041.78	3,073.57	1,470.00
राजस्थान	4,040.23	4,462.37	4,820.95	2,760.75
सिक्किम	1.69	2.99	1.00	3.10
तमिलनाडु	3,826.79	4,217.94	4,413.32	2,946.49
तेलंगाना	2,822.86	3,007.06	3,020.27	1,481.63
त्रिपुरा	97.64	297.88	459.23	250.00
उत्तर प्रदेश	2,438.44	2,908.98	3,072.68	1,275.55
उत्तराखंड	530.94	796.09	799.78	557.00
पश्चिम बंगाल	1,993.70	2,191.00	2,097.55	1,150.00
कुल	**50,991.72**	**56,817.98**	**58,398.71**	**36,249.79**

अनुबंध-III

"सहकारी बैंकों का विकास" के संबंध में दिनांक 18.8.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3960 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

सहकारी बैंकों के लिए एनसीडीसी द्वारा संवितरित निधी का विवरण (राशि करोड़ रुपये में)

राज्य	**वित्तीय वर्ष 2021-22**	**वित्तीय वर्ष 2022-23**	**वित्तीय वर्ष 2023-24**	**वित्तीय वर्ष 2024-25**
आंध्र प्रदेश	0.00	5035.00	2570.00	3730.00
बिहार	2800.00	4000.00	800.00	0.00
मध्य प्रदेश	455.00	245.00	310.00	291.00
राजस्थान	0.00	0.00	60.00	77.00
तेलंगाना	0.00	0.00	0.00	2000.00
कुल	**3255.00**	**9280.00**	**3740.00**	**6098.00**

*****